न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 64/2017

सीताराम पुत्र गोकुल जाति गुर्जर निवासी हनुमानपुरा दूनी जिला टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 23.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–खसरा नं0 55 ग्राम हनुमानपुरा ग्राम पंचायत चांदसिंहपुरा तहसील दूनी की आवंटन पत्रावली की प्रमाणित कॉपी।

2–सत्यनारायण पुत्र नवहिन्द जाट व गीता पत्नि नवहिन्द जाट निवासी बासखेडिया को आवंटन के लिए कब आवेदन किया था।

3–उस आवेदन मे क्या हुआ था।

4–उस आवेदन की अपील किस अधिकारी को थी उस अपील मे क्या आदेश हुआ था।

5–आवंटन केम्प 2009 दूनी तहसील मे कहां कहां लगे थे।

6–दिनांक 06.10.2010 को हुए सत्यनारायण पुत्र नवहिन्द जाट व गीता देवी पत्नि नवहिन्द जाट निवासी बासखेडिया हाल दूनी के ग्राम हनुमानपुरा ग्राम पंचायत चांदसिंहपुरा के हक मे हुए आवंटन की नकल।

7–उक्त समय उपखण्ड अधिकारी एस.डी.ओ.सा. कौन थे।

8–दिनांक 06.10.2010 को हनुमानपुरा के ख0नं0 55 को आवंटन करने के लिए जारी उद्घोषणा की कॉपी।

9– दिनांक 06.10.2010 को आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो को बैठक की सूचना एंव बैठक के स्थान की सूचना के लिए प्रेषित किया गया पत्र।

10–06.10.2010 आवंटन सलाहकार समिति की बैठक मे उपस्थित सदस्यो के नाम एंव पदनाम।

11–आवंटन के प्रोसिडिग रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी।

12– आवंटन दिनांक 06.10.2010 को तहसीलदार कौन थे उनकी उपस्थित रजिस्टर की कॉपी।

13–आवंटन दिनांक 06.10.2010 को तहसीलदार/नायब तहसीलदार दूनी के उपस्थित रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को पत्र क्रमांक 1667 दिनांक 18.10.2017,1745 दिनांक 02.11.2017 व 1791 दिनांक 13.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली ने पत्र क्रमांक 563 दिनांक 10.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र क्रमांक 527 दिनांक 26.10.2017 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक